

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज.)

राजस्य प्रकरण संख्या 42/2019

राजस्थान सरकार जारिये

पटवारी हल्का किराण

बनाम

श्री श्रीकर/नन्द, रावल
निवासी- किराण

भू राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

-: निर्णय :-

दिनांक : 8-5-2019

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी अनुपरिथत । मेंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का 207/3 किराण द्वारा संवत् 2076 में ग्राम किराण की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 3519 कुल रकबा 11/90 किरम जी. मु. रा. में से रकबा 0.10 भूमि पर अप्रार्थी श्री श्रीकर पुत्र नन्द जाति रावल निवासी किराण द्वारा नाजायज टिन्टोर, पानी टेक कर लिये जाने की भू राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू राजस्य अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 8-5-2019 को मुकाम मसूदा पर उपरिथत होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी नोटिस के जयाब में नियत पेशी दिनांक को अनुपरिथत रहा । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपरिथत रहा । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मेंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपरिथत रहा । भूमि वर्तमान राजस्य रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है एवं अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः अप्रार्थी श्रीकर पुत्र नन्द जाति रावल निवासी किराण को भूमि ग्राम किराण के खसरा नम्बर 3519/3 रकबा 11/90 किरम जी. मु. रा. में से भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे/काश्त के लिये अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जावे एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.25 का पचास गुना 10/— रूपये बतौर शारित आरोपित की जावे व मौके पर खड़ी फसल को जब्त सरकार कर नीलामी की जावे । आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 8-5-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया ।

प्रभात त्रिपाठी
तहसीलदार, मसूदा

